न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 14/2016

RCMS No. : 2016/00431

प्रार्थीः– | **बनाम** | **अप्रार्थीगण :–**

विजयकान्त गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जोन जोधपुर

बनाम

1. लीलाराम सिंधी पुत्र दयाराम मैसर्स लीलाराम दयाराम सुरजपोल पाली
2. हनुमान चौधरी (हड़मान राम) पुत्र श्री भुराराम पटेल मैसर्स धनलक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नं.3 घरवाला जाव मंडिया रोड़ पाली
3. जितेन्द्र कुमार सोनी (मालिक) मैसर्स दिलीप सेल्स 75/2, विश्वकर्मा नगर भदवासिया जोधपुर
4. धर्मेन्द्र हंसराज कोटक सेल्स मैनेजर (नोमिनी) मैसर्स नेश्ले इंडिया लिमिटेड मार्फत मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सी ई–168, रोड़ नम्बर 93 वीकेआई एरिया जयपुर
5. नेश्ले इंडिया लिमिटेड मार्फत मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सी ई–168, रोड़ नम्बर 93 वीकेआई एरिया, जयपुर–302013 (निर्माता फर्म)
6. नेश्ले इंडिया लिमिटेड एम. 5ए कनॉट प्लेस नई दिल्ली–110001

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(।।) एवं धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित
2. अप्राथी संख्या 1 से 6 की ओर से श्री भरत तिवारी अधिवक्ता उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28-6-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(।।) एवं धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने परिवाद में अंकित किया है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन–जोधपुर में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 4.6.2015 को दौराने गश्त चैकिंग मैसर्स लीलाराम दयाराम सुरजपोल पाली पर पहुंचा। दुकान पर विक्रेता की हैसियत से श्री लीलाराम पुत्र दयाराम जाति सिंधी उपस्थित मिला जो आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ नुडल्स मैगी कब्जे मे रखा पाया गया। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2015 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा गया जो उपलब्ध था। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान की रैक में नुडल्स मैगी ब्रांड 420 ग्राम के 6 पैकेट, 220 ग्राम के 5 पैकेट, 70 ग्राम के 20 पैकेट एवं 100 ग्राम के 12 पैकेट रखे हुए थे। उक्त पैकेट आम जनता को विकय हेतु रखे हुए थे। इन पैकेट में मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर रूबरू गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र संख्या 5ए भरकर दी तथा प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस.एस.एक्ट के तहत कराने हेतु खरीद कर रहा हूँ। प्रपत्र 5ए पर मेरे विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है। रूबरू गवाहान के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 240/– नकद देकर नुडल्स मैगी के एक ही बैच एवं निर्माण तिथि के 420 ग्राम के चार पैकेट खरीदा एवं खरीद की रसीद प्राप्त गई जिस पर मेरे विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। विक्रेता व गवाहान के सामने उक्त खरीदशुदा नुडल्स मैगी चार पैक पैकेटों को चार भागो में बांटकर चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सिरीयल नम्बर आर–350 खाद्य पदार्थ का ववरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने गवाहान व विक्रेता ने लेबल पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

हस्ताक्षर किये। चारों नमूना पैकेट पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज के रैपर मे लपेटकर प्रत्येक भाग पर हस्ताक्षरसुदा पेपर स्लीप संख्या आर–350 नियमानुसार चारों भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार उपर–नीचे, दायें–बायें सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनो पर आ जावे प्रार्थी स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। प्रार्थी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व गवाह को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने मौके पर ही फार्म 5ए की आठ प्रतियां तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया था। एक नमूना भाग मय फार्म 5ए की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मूहर कर मेरे द्वारा दिनांक 5.6.2015 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूने के द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को मेरे द्वारा दिनांक 5.6.2015 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्रांक 8391–92 दिनांक 21.7.2015 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/478/एक्ट/2015/416 दिनांक 17.6.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया खाद्य पदार्थ ुडल्स मैगी का नमुना मिथ्याछाप (Misbranded) व अवमानक (Substandard) होना पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) व अवमानक (Substandard) खाद्य पदार्थ नुडल्स मैगी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है तथा धारा 51 व 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है। अतः आवेदन स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बनाया गया प्रकरण निराधार है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के नियम 3.1.2 के अनुसार नेचुरल कलर कैरामेल को खाद्य उत्पाद में परमिटेड किया गया है। दिनांक 9.7.2019 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी प्रोडक्ट अनुमोदन आदेश मे इन्सटांट नुडल्स विद टेस्टमेकर के टेस्टमेकर में कैरामेल को अनुमोदित किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं प्रोडक्ट अनुमोदन में चूंकि कैरामेल कलर को अनुमोदित किया गया है ऐसी स्थिति में कैरामेल कलर के आधार पर खाद्य उत्पाद को मिथ्याछाप की श्रेणी में रखा जाना उचित नही है। खाद्य विश्लेषक द्वारा पश्चातवर्ती मापदण्ड लगा देने से सेम्पल अवमानक व मिथ्याछाप पाया गया है जो विधि अनुसार उचित नही है। कैरामेल कलर के सम्बन्ध में आपत्तियां आमंत्रित किये जाने के उपरान्त दिनांक 28.12.2017 को जारी एडवाईजरी में विभाग द्वारा स्वयं परमिटेड किया है। इसके उपरान्त दिनांक 8.11.2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में भी कैरामेल को अनुमोदित किया है जो वर्तमान में भी प्रभावी है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.2.2015 में वर्णित अनुसार इन्सटांट नुडल्स विद टेस्टमेकर के टेस्टमेकर पाउच पर विवरण अंकित करना अनिवार्य नही माना है। इन्सटांट नुडल्स विद टेस्टमेकर एक प्रोपराईटरी फूड है एवं इसे पृथक से रिटेल उत्पाद के रूप में नही बेचा जा सकता है। टेस्टमेकर में स्थित समस्त अवयवो की जानकारी इन्सटांट नुडल्स विद टेस्टमेकर के मूल पैकेट पर उपलब्ध है। मूल पैकेट को हटाये बिना टेस्टमेकर पाउच को नही निकाला जा सकता है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अपील प्राधिकरण राज. जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.5.2018 एवं दिनांक 8.2.2018 आदि में स्पष्ट किया है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के नियम 2.2.1(1), 2.2.2(1),(4)(6) एवं (7) का किसी प्रकार से उल्लंघन नही होता है। यदि पैकेट पारदर्शी होता तो अवश्य ही पृथक से टेस्टमेकर के वारे में जानकारी पृथक से अंकित करना अनिवार्य था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 25.5.2015 में ऐसे प्रकरणों को विड्रो किये जाने बाबत निर्देशित किया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में वर्णित खाद्य प्रयोगशाला की परिभाषा अनुसार खाद्य प्रयोगशाला का धारा 43 के अनुसार NABL (National Accrediation Board for Testing andAclibration of Laboratories) एवं खाद्य प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। जबकि खाद्य विश्लेषक द्वारा जिस प्रयोगशाला में विश्लेषण किया है वह मात्र खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला है जो उक्त खाद्य नमूने का विश्लेषण नही कर सकती है। न्यायिक

दृष्टांत 2019(1)एफएसी 294 में स्पष्ट है कि जो प्रयोगशालायें NABL अथवा खाद्य प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त नही है उसके द्वारा जारी की जाने वाली विश्लेषण रिपोर्ट को प्रमाणित नही माना जायेगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 8.12.2017 अनुसार ऐसे प्रकरणों को विड्रो किये जाने बाबत आदेशित किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण पर लगाये गये समस्त आरोप बेबुनियाद होने से निरस्त किये जाने योग्य है। खाद्य उत्पाद ओट्स नुडल्स मैगी न तो मिथ्याछाप है न ही सबस्टेण्डर्ड है। अतः प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रकरण में दोषमुक्त किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त बहस प्रस्तुत कथनों एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम के नियम 3.1.2 अनुसार कैरामेल को परमिटेड किया गया है इस सम्बध में दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 09.07.2013 को जारी प्रोडक्ट एप्रुवल में उक्त खाद्य उत्पाद में कैरामेल को परमिट किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये खाद्य नमुने का खाद्य विश्लेषक द्वारा खाद्य निर्माण के पूर्व के स्टेण्डर्ड के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अप्रार्थीगण अधिवक्ता का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि Instant Noodles With Tastmaker एक प्रोपराईटरी फुड है जिसमें टेस्टमेकर को पृथक से रिटेल उत्पाद के रूप में नही बेचा जा सकता है एवं टेस्टमेकर से सम्बन्धित समस्त जानकारी मूल पैकेट पर उपलब्ध है तथा मूल पैकेट को हटाये बिना टेस्टमेकर पाउच को नही निकाला जा सकता है। मामले में खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के नियम 2.2.1(1),2.2.2(1)(4)(6) एवं (7) का किसी प्रकार से उल्लघंन प्रथम दृष्टया नही माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.02.2015 में वर्णित अनुसार Instant Noodles With Tastmaker पाउच पर विवरण अंकित करना अनिवार्य नही माना है। इस प्रकार अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वर्णित उक्त तथ्य प्रथम दृष्टया स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के तहत पेश कर अप्रार्थीगण के दण्डित करने हेतु पेश किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध आरोप सिद्ध नही होते है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 26(2)(2) तथा धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियमावली 2011 से दोषमुक्त योग्य है।

अतः प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं प्रकरण में अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियमावली 2011 की धारा 26(2)(2) एवं धारा 52 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्दभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 28-6-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली